कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1133 / भू.अ.लि./ 2016 रायगढ़ दिनांक 24 / 08 /2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ के प्रस्तावित 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम पुटकापुरी तहसील पुसौर के खसरा नबंर 133/1से रकबा 1.8हे भूमि का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत् प्रदर्श 'स' भेजने बाबत्।

संदर्भ :– छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ का आवेदन पत्र क्रं./ कायंसि/राय./कार्य/638 रायगढ़ दिनांक 06.08.2016

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें । छ.ग. राज्य विद्यु पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु रायगढ जिर के रायगढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी तहसील पुसौर स्थित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 8.62 हे. में से **1.8 हे**. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ के जंगल) गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनिय 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तह प्रदर्श''स'' में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍ रायगढ़ से ग्राम पुटकापुरी का प्रदर्श ''स'' में प्रमाण पत्र लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार तैयार प्रमाण पत्र प्रदर्श ''स'' सादर सम्प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग)

पृ.क्रमांक / 1133A /भू.अ.लि./ 2016 रायगढ़ दिनांक 24 / 08 /2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर(छ.ग.)
2. वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग)

SA-Later

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को प्रस्तावित 132/33 के0व्ही0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में रायगढ़ वनमण्डल के ग्राम पुटकापुरी के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 133/1 रकबा 8.628 हे. में से 1.80 हे. (150m. X 120m.) भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) 1.80 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुटकापुरी तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 (**प्रदर्श –"अ"**) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श – "ब"**) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पुटकापुरी के सरपंच श्री श्रवण कुमार सिदार की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 में रखा गया था एवं इसमें 50 प्रशित ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे। जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क्रं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
1	2	3	4
1	पुटकापुरी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17.10. 2015 एवं 05.12.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार** ।

(श्रीमती अलरमेलमंगई डी.)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

दिनांक 24/08/2016

उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 25/06/2016

आज दिनांक 25/06/2016 को सायं 5.00 बजे वन अधिकारों की मान्यता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।—

1. श्री प्रकाश कुमार सर्वे, अ.वि.अ. (रा.) रायगढ़ → (हस्ताक्षर) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)
2. सुश्री प्रेमलता यादव, अ.वि.अ. (वन) रायगढ़ → (हस्ताक्षर)
3. श्री धर्मेन्द्र बैस, संयोजक, आ.जा.क. रायगढ़ → (हस्ताक्षर)
4. श्री रामकुमार भगत, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, रायगढ़ → (हस्ताक्षर)
5. श्रीमती सुषमा खलको, सदस्य, जनपद पंचायत, रायगढ़ → (हस्ताक्षर) 25.06.2016
6. श्री बजरंग सिदार, सदस्य, जनपद पंचायत, रायगढ़ → बजरंग सिदार

वन अधिकार मान्यता के संबंध में विकास खण्ड पुसौर के ग्राम पुरखापुरी में प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के स्थापना हेतु ख.नं. 1331 रकबा 2.80 हे० राजस्व वनभूमि के व्यपर्तन हेतु प्रदर्श-ख के आधार पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को भेजा जावे।

(हस्ताक्षर)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

65